कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जौनपुर।

पत्र संख्या– रीडर/सीएफओजे/पेट्रोलपम्प(जौनपुर)/2015 दिनांक: दिसम्बर 21/ ,2015

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र),
कृते जिला मजिस्ट्रेट,
जौनपुर।

विषय:– आवेदिका श्रीमती रंजन गुप्ता पत्नी स्व0 श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, मो0–साहबगंज, पोस्ट–मुँगरा बादशाहपुर, जनपद– जौनपुर द्वारा आराजी नं0–802/2, ग्राम–कोदहूँ, तहसील–मछलीशहर, थाना–मुँगरा बादशाहपुर, जिला– जौनपुर पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

संदर्भ:– आपका पृ0 स0: 1354(2)/व0श0लि0–जौनपुर दिनांक: 11–12–2015

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त सम्बन्ध में प्रस्तावित स्थल आराजी नं0–802/2, ग्राम–कोदहूँ, तहसील–मछलीशहर, थाना–मुँगरा बादशाहपुर, जिला– जौनपुर पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु प्रोपोराइटर द्वारा प्रस्तुत मानचित्र का परीक्षण तथा उनके साथ स्थल का अग्निशमन सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण एवं परीक्षण अग्निशमन अधिकारी जौनपुर द्वारा किया गया तो प्रस्तावित स्थल अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया। उक्त के अतिरिक्त निम्न सुझाव/निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:–

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था एवं सुझाव:–

1– बफर स्ट्रीप पेट्रोलियम एक्ट के मानक के अनुसार बनाया जाय।
2– स्थल पर कैनोपी का निर्माण मानक के अनुरूप किया जाय।
3– अन्य सभी शर्ते मानचित्र में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अंकित टिप्पणी क्र0सं0 1 से 27 का अक्षरशः अनुपालन किया जाय, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेसर्स/प्रबन्धन की होगी।
4–पेट्रोलियम एक्ट एवं रूल्स 2010 के प्रपत्र 14 में उल्लेखित तथा पेट्रोलियम एक्ट के चैप्टर 4 के नियम संख्या 117 के अनुसार व्यवस्थापन सम्बन्धी शर्तो एवं सुझावों का अक्षरशः पालन किया जाय।

C. F. O.
J. N. R.

5—आईएस 2190—1992 के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर्स की व्यवस्था निम्न संख्या में की जाय।

ए—डीसीपी/एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा —	04 अदद
बी— स्थल पर फोम ट्राली क्षमता 50 लीटर—	01अदद
सी— सीओटू टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 किग्रा —	01 अदद
डी— फायर बकेट (सैन्ड)—	06 अदद
ई— फायर बकेट (वाटर)—	06 अदद
एफ— ब्लैकेट 1.20मी0 चौड़ा व 1.50मी0 लम्बा—	02 अदद
जी— प्रश्नगत स्थल पर पानी का अण्डर ग्राउण्ड टैंक क्षमता 10000ली0—	01 अदद
एच— धूम्रपान निषेध का बोर्ड —	02 अदद
6— फायर स्टेशन जौनपुर का टेलीफोन नम्बर 05452—269999, मो0नं0—9454418612, आपात नम्बर—101, पुलिस कन्ट्रोल रूम नं0—100 का बोर्ड—	02 अदद

अतः आवेदिका को इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है कि निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने तथा पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) पर स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदिका की होगी।

(आर0पी0राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
जौनपुर।

प्रतिलिपिः 1. आवेदिका श्रीमती रंजन गुप्ता पत्नी स्व0 श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, मो0—साहबगंज, पोस्ट—मुॅगरा बादशाहपुर, जनपद—जौनपुर को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. अग्निशमन अधिकारी जौनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।